

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प पांघरोली)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

मिसल संख्या:- 452/2021

-:आदेश:-

दिनांक 22-10-2021

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत पांघरोली व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पांघरोली पटवार मण्डल पांघरोली की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 104, 164 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>पांघरोली</u>	<u>104, 164</u>	<u>मंगला पुत्र रामकुमार</u>	<u>अशोक कुमार पुत्र रामकुमार</u>

नोट- रहस्य यदि कोई हो तो त्रिगढ़ी आदेश की पालना रहस्यमुक्त के पश्चात ही जतिके

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुन्झुनूं (राज0)
दिनांक :- 22-10-2021

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 139-140
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)
2. प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र रामकुमार अहीर त्रिगढ़ी पांघरोली को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुन्झुनूं (राज0)